भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 470**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**पी॰ ओ॰ सी॰ एस॰ ओ॰ अधिनियम का क्रियान्वयन**

**470. डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में तीव्र बढ़ोतरी पर इसलिए ध्यान नहीं जाता है क्योंकि अधिकांश मामले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पी॰ओ॰सी॰एस॰ओ॰) अधिनियम के तहत दर्ज नहीं हो पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2014, 2015 और 2016 में देश में बच्‍चों के साथ हुए अपराधों के क्रमश: कुल 89,423; 94,172 और 1,06,958 मामले दर्ज किए गए । यौन शोषण/यौन अपराधों से बच्‍चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत वर्ष 2014, 2015 और 2016 में क्रमश: कुल 34,449, 34,505 और 36,022 मामले दर्ज किए गए ।

(ग) और (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इलैक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, संबंधित पक्षों के साथ परामर्श बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्‍यम से पोक्‍सो अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए समय-समय पर विभिन्‍न कदम उठाए हैं । इसके अलावा, राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्‍य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) भी पोक्‍सो अधिनियम, 2012 के क्रियान्‍वयन पर निगरानी रखने के लिए अधिदेशित हैं ।

\*\*\*\*\*